उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4
संख्या-147/2018/1374//22-4-18-48(79)/16
लखनऊ : दिनांक- 19 नवम्बर, 2018

शुद्धि पत्र

जिला कारागार, कौशाम्बी में कैम्पस बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु जारी प्रशासकीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या-146/2018/1338/22-4-18-48(79)/16, दिनांक 14.11.2018 के पृष्ठांकन में क्रमांक-3 पर अंकित कार्यदायी संस्था "प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ" के स्थान पर कार्यदायी संस्था "प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ" पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-147/2018 /1374(1)/22-4-18-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in